अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याणार्थ प्रकोष्ठ
जीवाजी विश्वविद्यालय,ग्वालियर

क्रमांकःअनु.जाति/जनजाति/प्रकोष्ठ/2011/ 509 दिनांक 15/7/11

प्रति,

(1) विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक,
समस्त अध्ययनशाला,
जीवाजी विश्वविद्यालय।

(2) प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

विषय :– *पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रों के बैंक खाते की जानकारी देने बाबत्।*

संदर्भ :– *कार्यालय कलेक्टर (आदिम जाति कल्याण विभाग), ग्वालियर के पत्र क्रं./आ.जा.क./पो.मै.छा./2011–12/1535 दिनांक 05/07/2011*

महोदय,

उपरोक्त विष्यान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के संदर्भ में लेख है कि उक्त आदेश की छायाप्रति संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रहीं है जिसके अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि –

1. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
2. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग, ग्वालियर।
4. वित्त नियंत्रक की ओर सूचनार्थ ।

प्रभारी 15/7

अनुसूचित जाति/जनजाति/प्रकोष्ठ

कार्यालय कलेक्टर (आदिम जाति कल्याण विभाग), ग्वालियर

(103,104 खेड़ापति कॉलोनी ग्वालियर)दूरभाष –0751–2330948 Email –twelfaregwa-mp@nic.in

क्र./आ.जा.क./पो.मै.छा./2011–12/ 1535

ग्वालियर दिनांक 5-7-11

प्रति,

1. कुल सचिव/नोडल अधिकारी
   जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर।
2. प्राचार्य/नोडल अधिकारी
   शासकीय महाविद्यालय ....
3. प्राचार्य
   अशासकीय महाविद्यालय.........................
   जिला–ग्वालियर

विषयः– पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्रो के बैंक खाते की जानकारी देने के संबंध में ।

संदर्भः– वित्त विभाग का ज्ञापन कमांक/140/196/B–6/2011/ चार भोपाल दिनांक 16.5.2011,

––––000––––

म.प्र. शासन वित्त विभाग के उक्त निर्देश के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को आदिम जाति अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से प्राप्त होने वाली छात्रवृत्ति की राशि भुगतान की इलेक्ट्रानिक प्रकिया के द्वारा सीधे छात्रों के खाते में भेजी जानी है। इस निर्देश के पालन हेतु निम्नांकित विवरण अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें :–

1. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन ऑन लाइन प्राप्त करते समय प्रत्येक छात्र का सही बैंक एकाउण्ट नम्बर आवश्य प्राप्त किया जाये जिसके लिये आवश्यक है, कि छात्रो के पर्याप्त मार्गदर्शन दिया जाये कि वे अपना छात्रवृत्ति का आवेदन भरते समय स्वयं का बैंक एकाउण्ट नम्बर बैंक का नाम, शाखा का नाम एवं जिले का नाम सही–सही भरे यह अनिवार्य है।

2. वर्ष 2011–12 में संस्थाओं द्वारा छात्रवृत्ति स्वीकृति पश्चात छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त करने के लिये ऑन लाइन स्वीकृति की जो सूची हार्डकॉपी में आदिम जाति कल्याण विभाग को भेजी जायेगी उसमें भी छात्राओ के बैंक एकाउण्ट नम्बर एवं बैक का

विवरण अंकित होकर ही प्रिन्ट प्राप्त होगे । जिस सूची में छात्रो के बैक एकाउण्ट नम्बर एक बैंक का विवरण नही होगा उसकी छात्रवृत्ति की राशि नहीं जारी की जा सकेगी ।

3. छात्रो का बैंक एकाउण्ट नम्बर सही अंकित होना अनिवार्य है अन्यथा गलत खाते में राशि जमा हो जाने पर कोषालय अथवा विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

4. शिक्षण शुल्क की राशि, जो संबंधित शैक्षणिक संस्था को प्रदाय की जाती है, के लिये संबंधित संस्था को भी अपना बैंक एकाउण्ट नम्बर, बैंक के विवरण के साथ भेजना अनिवार्य है। बैंक एकाउण्ट नम्बर सही हो यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व स्वंय संस्था का है अन्यथा गलत खाते में जमा होने पर संबंधित संस्था जिम्मेदार होगी ।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये संस्था के छात्रों एवं संबंधितो के अवगत कराये । स्पष्ट है, छात्रवृत्ति के आवेदन ऑन लाइन लिये जाकर भुगतान इलेक्ट्रानिक हस्तान्तरण के द्वारा किया जायेगा अतः उपरोक्त कार्यवाही अपूर्ण रहने पर छात्रवृत्ति नही प्रदाय की जा सकेगी ।

कलेक्टर
जिला–ग्वालियर म.प्र.

पृ.कं. / आ.जा.क. / पो.मै.छा. / 2011–12 /

ग्वालियर दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त आदिवासी विकास म.प्र. भोपाल ।
2. आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास म.प्र. भोपाल ।
3. आयुक्त, पिछड़ा वर्ग कल्याण म.प्र. भोपाल ।
4. संभागीय उपायुक्त, आदिवासी तथा अनुसूचित जाति विकास संभाग ग्वालियर।
5. श्री सुनील जैन टेकनिकल डायरेक्टर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र विध्याचल भवन भोपाल की ओर सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन हेतु प्रेषित ।
6. सयुक्त संचालक, जनसंपर्क विभाग मोती महल ग्वालियर की ओर प्रकाशनार्थ।

Sd/
कलेक्टर
जिला–ग्वालियर म.प्र.

D:\R.K sharmaji File-1.doc